



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06062026-273199
CG-DL-W-06062026-273199

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6—जून 12, 2026 (ज्येष्ठ 16, 1948)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6—JUNE 12, 2026 (JYAISTHA 16, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	319	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	537	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	715	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	1701
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	4321
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	319	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	537	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	715	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1701
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4321
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2026

सं. 9-20/2025-यू.3(ए))—जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "श्री कृष्ण विश्वविद्यालय" के नाम से श्री कृष्ण आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 20.08.2025 के अपने पत्र संख्या 40-2/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की गई थी, और समिति ने सर्वसम्मति से कुछ शर्तों के साथ सामान्य श्रेणी के तहत संस्थान को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान की सिफारिश की थी।

3. और आगे जबकि, आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को आयोजित अपनी 592वीं बैठक (मद संख्या 2.02) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, यूजीसी की सलाह की जांच करने पर, मंत्रालय ने दिनांक 17.03.2026 के अपने पत्र के माध्यम से प्रायोजक निकाय से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके जवाब में, प्रायोजक निकाय ने मंत्रालय को अपने बिंदुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा श्री कृष्ण कला और विज्ञान कॉलेज, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु को "श्री कृष्ण नॉलेज फाउंडेशन" सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पी.ओ. कोयंबटूर, तमिलनाडु के नाम और शैली में सम-विश्वविद्यालय संस्थान (सामान्य श्रेणी के तहत) के रूप में घोषित करता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 और समय-समय पर इसके संशोधनों का पालन करेगा।
- ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- v. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vi. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vii. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामुथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पाठ्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।

- viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- ix. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- x. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xi. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xii. श्री कृष्णा नॉलेज फाउंडेशन, सुगुनापुरम, कुनियामथुर, पीओ कोयंबटूर, तमिलनाडु को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

दिनांक 20 मई 2026

सं. 9-8/2025-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा यूजीसी पोर्टल पर जिसमें यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, जीएसटी रोड, चिन्ना कोलमबक्कम, मदुरंतकम, तमिलनाडु के नाम से विशिष्ट श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं:—

- i. करपगा विनयगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केवीसीईटी)
- ii. करपगा विनयगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (केआईडीएस)
- iii. करपगा विनयगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर (केआईएमएस एंड आरसी)
- iv. करपगा विनयगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग (केवीसीएन)
- v. करपगा विनयगा इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस (केवीआईपीएस)

3. और जबकि, प्रारंभ में, यूजीसी की सलाह पर, मंत्रालय ने दिनांक 10.03.2025 के आदेश के माध्यम से करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट के आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उपर्युक्त संस्थानों अर्थात् अन्ना विश्वविद्यालय और तमिलनाडु डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के संबद्ध विश्वविद्यालयों ने करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट को दिए गए अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले लिया था।

4. और जबकि, करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट ने मंत्रालय के दिनांक 10.03.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद, “माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.04.2025 के आदेश में व्यवस्था दी कि “इस प्रकार विवादित आदेश (अर्थात्, मंत्रालय को दिनांक 10.03.2025 के आदेश) को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए प्रथम प्रतिवादी (शिक्षा मंत्रालय) को भेजा जाता है। दूसरे प्रतिवादी (यूजीसी) को निदेश दिया जाता है कि वह अपनी सिफारिशें पहले प्रतिवादी को भेजे, फिर से एनओसी की वापसी के संदर्भ के बिना, जो इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर कानूनी रूप से अप्रभावी और अमान्य पाया जाता है। इसके बाद, ऐसी सिफारिश प्राप्त होने पर, प्रथम प्रतिवादी चार सप्ताह की अवधि के भीतर, योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा”।

5. और जबकि, माननीय न्यायालय के निदेश के अनुपालन में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट को करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, जी.एस.टी. रोड, चिन्ना कोलंबक्कम, मदुरंतकम, तमिलनाडु के नाम से सम-विश्वविद्यालय संस्थान प्रारम्भ करने से पूर्व 3 वर्षों की अवधि के भीतर कुछ शर्तों की पूरा करने के लिए दिनांक 06.11.2025 को आशय पत्र (एलओएल) जारी किया।

6. और आगे जबकि, करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट ने दिनांक 01.12.2025 के पत्र के माध्यम से आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया था। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 02.03.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस मामले में अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा करपगा विनयगा एजुकेशनल ट्रस्ट को करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, जीएसटी रोड, चिन्ना कोलमबक्कम मदुरंतगम, तमिलनाडु के नाम से विशिष्ट श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iii. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- iv. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- v. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vi. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और करपगा विनयगा शैक्षिक विद्या फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- viii. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- ix. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. करपगा विनयगा एजुकेशनल लोर फॉर लर्निंग, मदुरंतगम, तमिलनाडु को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

दिनांक 26 मई 2026

सं. 9-3/2025-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. जबकि, नेहरू कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यूजीसी पोर्टल पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैम्पस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 10.01.2025 के अपने पत्र संख्या 40-4/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की गई थी, और समिति ने सर्वसम्मति से कुछ शर्तों के साथ नेहरू कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 23.12.2024 को आयोजित अपनी 586वीं बैठक (मद संख्या 2.10) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर नेहरू कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु - 641008 को तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 05.03.2025 को एक आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। इसके अलावा, नेहरू कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव ने दिनांक 27.06.2025 के पत्र के माध्यम से एलओआई में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह अनुपालन रिपोर्ट जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजी गई थी।

5. और आगे जबकि, यूजीसी ने दिनांक 02.03.2026 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 30.01.2026 को आयोजित अपनी 595वीं बैठक (मद संख्या 2.18) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. अब, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु के नाम से विशिष्ट श्रेणी (हरित क्षेत्र) के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।
- ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- iii. नेहरू कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे अन्य सभी संस्थान मंत्रालय के अनुमोदन के बिना पीके दास सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), कोयंबटूर का हिस्सा नहीं होंगे।
- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- vi. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- viii. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- x. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।

- xi. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैंपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैंपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू कॉलेज कैंपस, कुनियामुथुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।
- xiv. प्रायोजक निकाय शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार प्रस्तावित सम-विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित शैक्षणिक, प्रशासनिक, भौतिक और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन और अनुरक्षण करेगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th May 2026

No. 9-20/2025-U.3(A)—Whereas, an online application was submitted on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under general category to Sri Krishna Arts and Science College, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu in the name of “Sri Krishna University” under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. And whereas, vide its letter No. 40-2/2024 (CPP-I/DU) dated 20.08.2025, informed that the application was examined through its Expert Committee in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, and the Committee unanimously recommended conferment of Institution deemed to be University status under General Category with certain conditions.

3. And further whereas, the recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 592nd meeting (Item No. 2.02) held on 23.07.2025.

4. And whereas, upon examination of the advice of UGC, the Ministry, vide its letter dated 17.03.2026, requested the sponsoring body to furnish clarifications on certain points. In response, the sponsoring body submitted its point-wise clarifications to the Ministry.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Sri Krishna Arts and Science College, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University (under general category) in the name and style of “Sri Krishna Knowledge Foundation”, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu with the following conditions:—

- i. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 and its amendments, from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- v. The academic programmes to be offered at Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall align its course with National Education Policy-2020.
- vii. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu.
- ix. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- x. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xi. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

- xii. Sri Krishna Knowledge Foundation, Sugunapuram, Kuniamuthur, P.O. Coimbatore, Tamil Nadu shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

The 20th May 2026

No. 9-8/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was submitted by Karpaga Vinayaga Educational Trust on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, GST Road, Chinna Kolambakkam, Maduranthagam, Tamil Nadu under Section 3 of the UGC Act, 1956 consisting of the following Institutions:—

- i. Karpaga Vinayaga College of Engineering & Technology (KVCET)
- ii. Karpaga Vinayaga Institute of Dental Sciences (KIDS)
- iii. Karpaga Vinayaga Institute of Medical Sciences & Research Centre (KIMS&RC)
- iv. Karpaga Vinayaga College of Nursing (KVCN)
- v. Karpaga Vinayaga Institute for Pharmaceutical Science (KVIPS)

3. And whereas, initially, on the advice of UGC, the Ministry vide, Order dated 10.03.2025, rejected the application of Karpaga Vinayaga Educational Trust on the ground that the affiliated Universities of the above-mentioned Institutions i.e., Anna University and the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University had withdrawn their no objection certificate given to Karpaga Vinayaga Educational Trust.

4. And whereas, Karpaga Vinayaga Educational Trust filed a Writ Petition in the Hon'ble High Court of Madras challenging the Ministry's order dated 10.03.2025. After hearing the matter, Hon'ble Court, vide Order dated 22.04.2025 held that "the impugned order (i.e., Ministry's order dated 10.03.2025) is therefore set aside and the matter is remitted to the first respondent (Ministry of Education) for fresh consideration. The second respondent (UGC) is directed to send his recommendations to the first respondent, again without reference to the withdrawal of the NOC, which is found to be legally ineffective and invalid, within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order. On receipt of such recommendation, the first respondent shall pass orders on merits and in accordance with law, within a period of four weeks, thereafter".

5. And whereas, pursuant to the direction of Hon'ble Court and considering the advice of UGC, the Ministry, issued Letter of Intent (LoI) dated 06.11.2025 to Karpaga Vinayaga Educational Trust for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an Institution deemed to be University in the name of Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, GST Road, Chinna Kolambakkam, Maduranthagam, Tamil Nadu.

6. And further whereas, Karpaga Vinayaga Educational Trust, vide letter dated 01.12.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and advice. In response, UGC, vide letter dated 02.03.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and recommended for final approval in the matter.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Karpaga Vinayaga Educational Trust for starting an Institution deemed to be University under distinct category in the name of Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, GST Road, Chinna Kolambakkam, Maduranthagam, Tamil Nadu. The said declaration is subject to the following conditions:—

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iii. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iv. The academic programmes to be offered at Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

- v. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall align its courses with National Education Policy-2020.
- vi. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu.
- viii. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall submit its Memorandum of Association (MoA) in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. Karpaga Vinayaga Educational Lore for Learning, Maduranthagam, Tamil Nadu shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

The 26th May 2026

No. 9-3/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. Whereas, an online application was submitted by Nehru College of Educational and Charitable Trust on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to P K Das Institute of Social Sciences Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamilnadu under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC vide its letter No. 40-4/2024 (CPP-I/DU) dated 10.01.2025, informed that the application was examined through its Expert Committee in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, and the Committee unanimously recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Nehru College of Educational and Charitable Trust with certain conditions. The recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 586th meeting (Item No. 2.10) held on 23.12.2024.

4. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued a Letter of Intent (LoI) dated 05.03.2025 to Nehru College of Educational and Charitable Trust, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu – 641008 for fulfilment of certain conditions within a period of three years. Further, the Secretary, Nehru College of Educational and Charitable Trust, vide letter dated 27.06.2025, submitted a compliance report regarding fulfilment of the conditions stipulated in the LoI. The compliance report was sent to UGC for examination and advice.

5. And further whereas, UGC, vide its letter dated 02.03.2026, conveyed that the compliance report of the Institution was accepted by its Expert Committee and recommended for grant of Institution deemed to be university status under distinct category to P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 595th meeting (Item No. 2.18) held on 30.01.2026.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval for conferment of Institution deemed to be University status under distinct category (green field) in the name of P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu under distinct category. This approval is further subject to the following conditions:—

- i. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- iii. All other Institutions running under Nehru College of Educational and Charitable Trust shall not be the part of P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology (deemed to be University), Coimbatore without approval of the Ministry.
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- v. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes to be offered at P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vii. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall align its course with National Education Policy-2020.
- viii. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu.
- x. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xi. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xii. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. P K Das Institute of Social Sciences, Health Sciences and Technology, Nehru College Campus, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.
- xiv. The sponsoring body shall create and maintain the necessary academic, administrative, physical and other infrastructural facilities required for the proposed Deemed to be University, in accordance with the norms and standards prescribed by the UGC before commencement of the academic session.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary